

कार्यालय अंचल अधिकारी, करा ।

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं०—

468/266-17

वाद का प्रकार— बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

की गई कार्रवाई की तिथि

आदेश का क्रमांक सं० एवं तिथि

08.10.2020

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-03 खा०म०नि०-119/85/2308/रा० दिनांक:- 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-914/रा०, दिनांक:-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जनाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-
 मौजा दीरपिस्ता थाना नं० 58 खाता नं० 20/17 खेसरा नं० 611/8
 रकबा 0.94 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास अनावाद बिहार (झारखण्ड)के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी- II के जिल्द संख्या 01 के पृष्ठ संख्या 31 पर जनाबंदी रैयत कुरमा



पिता/पति पाहन कुरमा पाहन के नाम से कायम है।
 हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जनाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।
 हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जनाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का क्षति कारित करना है।
 प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जनाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जनाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जनाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 15/10/2020 को रखें।

लेखनी एवं संबंधित अंचल अधिकारी


अंचल अधिकारी

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
<p>04.12.2020</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा अनुपस्थित। जमाबंदी रैयत करमा पहान पिता कोका पहान के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में बिहार भूमि सुधार कार्यक्रम जमीन बंदोबस्ती का परवाना प्रस्तुत किया गया। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है ,</p> <p>जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा घोरपिण्डा, थाना नं० 58 के सर्वे खतियान में खाता सं० 20 रकबा 0.94 एकड़ भूमि क्रमशः गैरमजुरूआ खास दर्ज है।</p> <p>राजस्व मांग पंजी II भाग I के पृष्ठ सं० 31 खाता सं० 20/17 प्लॉट सं० 611/8 रकबा 0.94 एकड़ करमा पहान पिता कोका पहान के नाम से दर्ज है। जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। गैरमजुरूआ खास भूमि बंदोबस्ती अभियान पंजी में करमा पहान के नाम दर्ज है। केस नं० 8/1988-89 दर्ज है। किन्तु सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर संबंधित पक्ष का लगभग 30 वर्षों से दखल-कब्जा है। एवं कृषि कार्य करते आ रहे हैं।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा खाता सं० 20/17 प्लॉट सं० 611/8 रकबा 0.94 एकड़ भूमि की जमाबंदी को नियमितिकरण करने का अनुशंसा किया गया है।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर इस वाद की कार्रवाई तत्काल समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित्त संशोधित।</p> <p> अंचल अधिकारी करा।</p> <p> अंचल अधिकारी करा।</p>	